भाग-III

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जून, 2014

संख्या का०आ० 51/के०अ० 20/2013/धा० 40/2014.—नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20), की धारा 40 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए नीचे प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद, सरकार, नियमों के प्रारुप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य तथा पूर्ति विभाग; द्वारा लिखित में, नियमों के प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा खाद्य सुरक्षा नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग;

(घ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु अन्वेषण समिति। धारा 16 और धारा 40

3. (1) अध्यक्ष और सदस्य सरकार की सिफारिश पर अपने हस्ताक्षर और मोहर के अधीन वारंट द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) प्रथमत: इन नियमों के लागू होने के तीन मास के भीतर और वर्तमान अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि पूर्ण होने से तीन मास पूर्व राज्य सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी और दो मास के भीतर समाप्त की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा, इसकी सहायता के लिए आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति हेतु इसकी सिफारिशों को निश्चित करते हुए, तथा नियुक्त अध्यक्ष और बहुत से सदस्यों से गठित होने वाली अन्वेषण समिति होगी। अन्वेषण समिति निम्नलिखित के अध्यधीन कृत्य करेगी, अर्थात्—

(क) अन्वेषण समिति इसकी अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समय उक्त सिद्धान्तों, प्रक्रिया तथा मानदण्ड नियत और/अथवा परिवर्तित कर सकती है। तथापि, अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय, यह निम्नलिखित पर विचार करेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार धारा 16 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन उपबन्धित प्रवर्ग से सम्बन्धित है, तो वह श्रेणी-I सेवा से होगा;

(ii) यदि उम्मीदवार धारा 16 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन उपबन्धित प्रवर्ग से सम्बन्धित है, तो वह व्यवसाय कोर्स में स्नातक अथवा किसी संकाय में स्नातकोत्तर होगा।

(4) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, तो अन्वेषण समिति से उस द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों, प्रक्रिया और मानदण्ड का पुनः निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकती है और अन्वेषण समिति से उस द्वारा दिए गए सुझावों अनुसार उन्हें मिटाने, शामिल करने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे सुझावों का पालन करना जो अन्वेषण समिति पर बाध्य किए गए हैं।

(5) (क) राज्य सरकार, अन्वेषण समिति द्वारा, इसकी सिफारिशें करने की प्रक्रिया में उम्मीदवारों के रूप में, विचार किए गए व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार बनाए रखेगी और अन्वेषण समिति सकारात्मक रूप से इसकी अपनी मैरिट पर सभी ऐसे नामों पर विचार करेगी।

(ख) अन्वेषण समिति, इसे अधिसूचित रिक्तियों को भरे जाने के लिए विचार करने हेतु बहुत से नामों की तीन गुणा तक सिफारिश कर सकती है। तथापि, अन्वेषण समिति को अधिसूचित रिक्तियां, सरकार द्वारा इसके विशुद्ध विवेक पर अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों) की वास्तविक नियुक्ति से पहले किसी भी समय वापस ली जा सकती हैं, कम, परिवर्तित या बढ़ाई जा सकती हैं।

(ग) अन्वेषण समिति वर्णानुक्रम में (उम्मीदवार के प्रथम नाम पर विचार करते हुए) अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे नाम (नामों) के अनुमोदन हेतु, उम्मीदवारों की सभी सुसंगत सामग्री सहित राज्य सरकार के सम्मुख रखेगी।

(6) राज्य सरकार, बहुत से व्यक्ति (व्यक्तियों) के चयन के लिए स्वतन्त्र होगी जो वह अन्वेषण समिति से इस प्रकार प्राप्त सिफारिशों में से अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों) के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए जाने के लिए उपयुक्त समझे और अन्वेषण समिति से इस प्रकार प्राप्त सिफारिशों में से सभी अपेक्षित सिफारिशें करने के लिए आबद्ध नहीं होगी। राज्य सरकार, यदि यह इस प्रकार करना उचित समझे, अन्वेषण समिति को यथा अभिसूचित रिक्तियों की अपेक्षित संख्या से कम नहीं अपनाने के लिए स्वतन्त्र होगी, जो अन्वेषण से प्राप्त सिफारिशों में से अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु उस द्वारा की गई सिफारिश को उचित समझे।

(7) मुख्य सचिव हरियाणा का कार्यालय या मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त कोई अन्य कर्मचारी/अधिकारी अन्वेषण समिति को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।

(8) आयोग का सदस्य-सचिव अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र। धारा 16 और धारा 40.

4. अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षरांकित लिखित में राज्य के राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 16 और धारा 40.

5. (1) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन आयोग को इसकी अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी।

(2) आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य-सचिव या इस निमित्त इस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के अमले और परामर्शदाताओं की नियुक्ति। धारा 16 और धारा 40.

6. (1) आयोग राज्य सरकार से परामर्श से, आयोग को इसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, किस्म और प्रवर्गों को अवधारित करेगा।

(2) सदस्यों को भुगतानयोग्य भत्ते और वेतन और प्रशासनिक खर्चे जिसमें आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य संचित निधि से प्रभारित किए जाएंगे।

(3) आयोग, सरकार से परामर्श से आयोग द्वारा निर्णीत किए जाने वाले निबन्धनों और शर्तों पर इसके कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं को, समय-समय पर, नियुक्त करने का हकदार होगा।

आयोग की कार्यकारिता। धारा 16 और धारा 40.

7. (1) आयोग की बैठक हेतु गणपूर्ति दो होंगी, बशर्ते कि आयोग द्वारा लिए गए किसी पूर्व निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु या किसी विषय को विचारने हेतु जो प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में और विरुद्ध मतों की समता के कारण निर्णीत नहीं किया जा सका, आयोग की बैठक हेतु, बैठक हेतु गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले सभी सदस्यों से होगी।

(2) आयोग का अध्यक्ष, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष द्वारा निदेश किया जाए, आयोजित की जाने वाली आयोग की बैठक बुलवाने हेतु सदस्य-सचिव को अनुदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग का कोई सदस्य, अन्य सदस्यों को लिखित में नोटिस और उसकी एक प्रति सदस्य-सचिव सहित भेजते हुए किसी भी समय आयोग की बैठक हेतु अनुरोध कर सकता है। सभी बैठकों के नोटिस लिखित में सदस्यों को दिया जाएगा, जब तक सभी सदस्य लिखित में नोटिस अभित्यक्त नहीं करते हैं।

(3) आयोग सदस्यों को पेपर वितरण करते हुए अति-आवश्यक मामले निर्णीत करने के लिए हकदार होगा।

(4) यदि आयोग के सदस्यों के मध्य भिन्न राय है, तो बहुमत की राय सफल होगी और आयोग की राय बहुमत के अवलोकन के निबन्धनों अनुसार अभिव्यक्त की जाएगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अध्यक्ष के पास कोई निर्णायक अथवा दूसरा मताधिकार नहीं होगा।

(5) आयोग के सभी निर्णय, अनुदेश और आदेश लिखित में होंगे और कारणों से समर्थित होंगे। आयोग के निर्णय, अनुदेश और आदेश किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। उनकी प्रतियां ऐसी रीति में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी जैसा आयोग निर्दिष्ट करे।

(6) जब आयोग का अध्यक्ष अपनी उपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में अयोग्य है, तो आयोग का अगला वरिष्ठ सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष अपने कृत्यों का प्रभार धारण नहीं करता है।

(7) सदस्य-सचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और आयोग द्वारा इसे प्रत्यायोजित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(8) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आयोग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। धारा 17 और धारा 40.

8. (1) अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते और सेवा के निबन्धन और शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(क) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समरूप होंगी;

(ख) सदस्य, हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के समरूप होंगी;

परन्तु यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, उसकी नियुक्ति के समय पर, भारत

सरकार के अधीन अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अशक्तता अथवा घायल पेंशन से अन्यथा, कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन से उस पेंशन की राशि घटा दी जाएगी जिसमें पेंशन का कोई भाग जो संचित की गई थी और सेवानिवृत्ति उपदान के समकक्ष पेंशन निकालते हुए सेवानिवृत्ति के अन्य रूप के समकक्ष पेंशन शामिल है :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष या सदस्य यदि, उसकी नियुक्ति के समय, केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में दी गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए हैं, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन से सेवानिवृत्ति लाभ के समकक्ष पेंशन की राशि घटा दी जाएगी :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, भत्ता और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित में बदली नहीं जाएगी।

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूर्ति विभाग।